**भारत सरकार** **राज्य सभा**
**वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय** **अतारांकित प्रश्न सं 3241**
**(वाणिज्य विभाग)**

**दिनांक 28 मार्च 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए**

**सिक्किम के जैविक प्रमाणन निकाय का निलंबन**

**3241 श्री दोरजी त्शेरिंग लेप्चा:**

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि विवादास्पद सफेद चावल के निर्यात के कारण सिक्किम के जैविक प्रमाणन निकाय का निलंबन सिक्किम के जैविक कृषि क्षेत्र के लिए एक बड़ा झटका है;

(ख) क्या कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) ने एक घोटाले के कारण सिक्किम के जैविक प्रमाणन निकाय को निलंबित कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है ?

**उत्तर**
**वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री**
**(श्री जितिन प्रसाद)**

(क) से (घ) : राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम (एनपीओपी) के अंतर्गत सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (एसएसओसीए) के प्रत्यायन को एनपीओपी के राष्ट्रीय प्रत्यायन निकाय (एनएबी) द्वारा इसके प्रमाणित परिचालनों पर एसएसओसीए के निगरानी की कमी और इसकी प्रमाणन प्रक्रिया में बड़ी खामियों के कारण निलंबित कर दिया गया था, जिससे इसके द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादों की सत्यनिष्ठता पर प्रभाव पड़ा है।

कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) एनपीओपी के कार्यान्वयन के लिए नामित सचिवालय है। ऑर्गेनिक चावल के निर्यात और एसएसओसीए द्वारा ऑर्गेनिक कॉटन के प्रमाणन के संबंध में शिकायतों के आधार पर, इसने आपूर्ति श्रृंखला में संबंधित ऑपरेटरों की आपूर्ति श्रृंखला की विस्तृत जांच की। इस उद्देश्य के लिए एपीडा द्वारा गठित मूल्यांकन समितियों की जांच रिपोर्टों के आधार पर, एसएसओसीए को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिसके बाद व्यक्तिगत रूप से सुनवाई की गई। गैर-अनुपालन की विस्तृत जांच के बाद जिसमें एसएसओसीए की निगरानी की कमी एवं इनकी प्रमाणन प्रक्रियाओं में गंभीर कमियों की पुष्टि हुई, सिक्किम राज्य जैविक प्रमाणन एजेंसी (एसएसओसीए) की मान्यता को दिनांक 01.10.2024 से एक वर्ष के लिए निलंबित कर दिया गया था।

****